जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

फोन नं0– 06156–224767
Email-ID:- ddc-gopalganj-bih@nic.in

ज्ञापांक......1175...... /अभि0
दिनांक......21/....11/2019

–: आदेश :–

कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), विजयीपुर ने अपने पत्रांक 52 दिनांक 19.09.2019 द्वारा श्री जवाहरलाल राय, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–मझवलिया एवं सरुपाई, प्रखण्ड–विजयीपुर का संविदा रद्द करने की अनुशंसा करते हुए उनपर निम्नलिखित आरोप गठित किया गया है :–

1. कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र से बिना किसी सूचना के अक्सर अनुपस्थित रहना।
2. जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), सामाजिक वानिकी, एन0आर0एम0 कार्य इत्यादि में इनके द्वारा रुचि नहीं लेने एवं न हीं किसी प्रकार का कार्य श्री राय द्वारा किया गया है।
3. मनरेगा के किसी भी कार्य में रुचि नहीं लेना यथा–आधार सिडिंग कार्य, जॉब कार्ड सत्यापन, मावन दिवस सृजन, जियो–टैगिंग, ससमय मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं करना इत्यादि।

श्री जवाहरलाल राय, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–मझवलिया एवं सरुपाई, प्रखण्ड–विजयीपुर का संविदा कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), विजयीपुर के द्वारा रद्द करने की अनुशंसा एवं पूर्व में प्रखण्ड कार्यालय, विजयीपुर के पत्रांक 32 दिनांक 08.07.2019 के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 728 दिनांक 27.07.2019, ज्ञापांक 09 मु0 दिनांक 26.07.2019 एवं ज्ञापांक 756 दिनांक 29.07.2019 द्वारा श्री जवाहरलाल राय, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–मझवलिया एवं सरुपाई, प्रखण्ड–विजयीपुर को प्रभार प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था। जिसमें उनके द्वारा तथ्यहीन कारणों का आधार बनाकर स्पष्टीकरण से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है, जो विचार करने योग्य नहीं है।

पुनः कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), विजयीपुर ने अपने पत्रांक 43 दिनांक 22.08.2019 द्वारा उक्त पंचायत रोजगार सेवक पर लगातार अनुपस्थित रहने के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 911 दिनांक 05.09.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में श्री राय द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया है।

अतः कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), विजयीपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोप एवं अनुशंसा, इस कार्यालय द्वारा की गयी कारण पृच्छा का जवाब नहीं देने, अपने वरीय पदाधिकारियों के निदेशों का अनुपालन नहीं करने एवं अपने कर्तब्य से लगातार अनुपस्थित रहने, कार्य में लापरवाही के कारण एकरारनामा की कंडिका संख्या 13 के प्रावधान ***"Your engagement with DRDA will stand terminated if you are continuously absent for 5 days or more, from duty without taking leave permission from the competent authority."*** के उल्लंघन करने के आरोप में श्री जवाहरलाल राय, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–मझवलिया एवं सरुपाई, प्रखण्ड–विजयीपुर का अनुबंध अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने के तिथि से रद्द करते हुए उन्हे चयन मुक्त किया जाता है। यदि वे चाहें तो रद्द आदेश के विरुद्ध अपील विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर कर सकते है।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।